झारखण्ड राज्य व अन्य

बनाम

अंबे सीमेन्ट व अन्य

17 नवम्बर, 2004

[एस.एन. वरियावा, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और एस. एच. कपाडिया, जे.जे]

बिहार औधोगिक संवर्धन नीति, 1995 लघु श्रेणी क्षेत्र मे नई पाइपलाइन औद्योगिक इकाई-बिक्री कर से छूट-अनुदान अधिसूचना -की प्रकृति के अनुसार नई औद्योगिक इका ई के रूप में छूट प्राप्त करने के लिए अस्थायी पं जीकरण के अलावा 31.8.2000 से पहले उधोग विभाग राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना प्राधिकरणो द्वारा ऐसी सर्त छूट का लाभ उठाने के लिये अनिवार्य है। निर्धारित किया-लघु औद्योगिक इकाइयों ने अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसे उद्योग विभाग की पूर्वव अनुमति के रूप में नहीं माना जा सकता है-इसलिए, औद्योगिक इकाई को एक नया औद्योगिक रिट नहीं माना जा सकता है और इसका पालन न करने से उन्हें छूट देने से वंचित कर दिया जाएगा -साथ ही उच्च न्यायालय निर्धारित वैधानिक शर्तों की अनदेखी करते हुए छूट देने का निर्देश नहीं दे सकता है, जबकि ऐसी शर्त की वैधता को कोई चुनौती नही

दी गई है। पर -बिहार वित्त अधिनियम, 1981 धारा 7(3) (b) का संविधान 1950 अनुच्छेद 226

विधियो की व्याख्याः

कराधान कानून-छूट खंड-कर की रियायती दर प्रदान करना-निर्धारित कियाः इस तरह के खंड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए-न्यायालय को औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को नजरअंदाज नही करना चाहिए क्योंकि यह व्याख्या का मूल नियम है कि जब कानून किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट तरिके से निर्धारित निर्धारित करता है। तो उक्त कार्य निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए-औद्योगिक संवर्धन नीति, 1995 बिहार वित्त अधिनियम, 1981

पूर्ववर्ती बिहार राज्य ने औद्योगिक संवर्धन नीति, 1995 बनाई और नए स्थापित लघु उधोगो को कच्चे माल की खरीद और तैयार उत्पादों की बिक्री पर बिक्री कर से छूट दी। अधिसूचना संख्या एस. ओ. 478/479 दिनांकित 22.12.1995 नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किये गये थे।

उन नई औद्योगिक इकाइयों को विक्रीकर से छूट दी गई थी जिन्होंने 1.09.1995 और 31.08.2000 के बीच उत्पादन शुरू किया और सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। औद्योगिक नीति में तब संशोधन किया गया और पाइपलाईन उद्योगों को कुछ राहत प्रदान की गई। इसके बाद, एस. ओ. 57 और 58 दिनांकित 2.3.2000 अधिसूचना जारी

की गई, जिसने अधिसूचना संख्या एस. ओ. 478/479 दिनांकित 22.12.1995 में संशोधन किया ओर यह प्रावधान किया गया है कि एस. ओ. 478 ओर 479 के तहत छूट के उदश्यों के लिये पाईपलाईन उधोगो को नई औद्योगिक इकाइयों के रूप में माने जाने के लिये उन्हो उन्हें 31.8.2000 से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा पूर्व अनुमति प्राप्त करने की तारीख से 5 साल के भीतर उत्पादन शुरु करना चाहिए।

उतरदाता, एक लघु उधोग ने उधोग केन्द्र के महाप्रबन्धक से 05.05.2000 को अस्थाई पंजीकरण प्राप्त किया ओर छूट देने के लिये आवेदन किया। संयुक्त आयुक्त ने 11.9.2000 आवेदन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि प्रतिवादी ने राज्य सरकार के उद्योग विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी। प्रत्यर्थी ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 2.4.2001 से शुरु किया और 2.4. 2001 को अधिसूचना s.o. 57 और 58 दिनांकित 2.3.2000 तथा S.O. 478/479 दिनांकित 22.12.1995 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जो अस्वीकार कर दिया गया। पीड़ित प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के रूप में माना जा सकता है और मामले को संयुक्त आयुक्त को वापस भेज दिया। सकता है। इसलिए अपील कि गयी।

अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया अधिसूचना में दी गई छूट के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग से पृथक से अनुमति लेना अनिवार्य है। और उक्त शर्त का गैर-अनुपालन प्रत्यर्थी को छूट देने से वंचित कर देगा; और यह कि उच्च न्यायालय ने ऐसी शर्तों की वैधता को किसी भी चुनौती के अभाव में, अधिक निर्धारित वैधानिक शर्तो की अनदेखी करते हुये प्रत्यर्थी के पक्ष मे छूट देने का निर्देश देने में गलती की है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिया गया अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र वास्तव में एक पूर्व अनुमति है जैसा कि अधिसूचना एस. ओ. 478/479 दिनांकित 22. 12.1995 सहपठित अधिसूचना एस. ओ. 57 ओर 58 दिनांकित 02.03.2000 मे दर्शाया है और उक्त अधिसूचनाओं में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि छूट या अनुदान के लिए पात्र होने के लिए एक अलग पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी और इस तरह प्रतिवादी छूट प्राप्त करने का हकदार है। प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में अपना उधम स्थापित किया और 2.4.2001 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और तदनुसार कच्चे माल की खरीद ओर तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर की छूट देने के लिए आवेदन किया है। प्रतिवादी नं. 1 को अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र 30.4.2001 को जारी किया गया था; और यह कि कर लगाने वाले कानूनों में, कर की रियायती दर का अवधारणा उदारता से होना चाहिए।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभीनिर्धारित: 1.1 अधिसूचना एस. ओ. 478/479 दिनांकित 22.12.1995 सहपठित अधिसूचना एस. ओ. 57 ओर 58 दिनांकित 02.03.2000 के तहत नई औधोगिक इकाई की संशोधित परिभाषा के अर्थ में उद्योग विभाग द्वारा जारी अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र को उधोग विभाग, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति नही माना जा सकता है। वैधानिक अधिसूचना को पढ़ने से यह स्पष्ट होगा के अस्थायी पंजीकरण के अलावा, 31.08.2000 से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग की एक अलग पूर्व अनुमति कि सी भी इकाई के लिए छूट के उद्देश्य से नई औद्योगिक इकाई के रूप में माने जाने के योग्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसलिए, छूट का लाभ उठाने के लिए अधिकारियों द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने की निर्धारित शर्त अनिवार्य है। इसके अलावा, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी ने 31.8.2000 से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की है। और इस तरह प्रत्यर्थी की औद्योगिक इकाई को एस. ओ. 478 और 479 दिनांकित 22.12.1995 सहपठित एस. ओ. 57 व 58 दिनांकित 02.03. राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न करके प्रत्यर्थी की ओर से वैधानिक दायित्व को पूरा न करने के लिए आधार पर प्रत्यर्थी को छूट देने के लिए आवेदन को संबंधित अधिकारियों ने खारिज किया है। [136-GH;137-AB]

1.2. उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अनुदान के लिए निर्धारित वैधानिक शर्तों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में छूट निर्देश नहीं दे सकता है और वह भी ऐसी शर्त की वैधता को किसी भी चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय का आदेश कि अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अधिसूचना के तहत निर्धारित पूर्व अनुमति के बराबर था, सही नहीं है। यह वैधानिक अधिसूचना एस. ओ. 57 ओर एस. ओ. 58 दिनांकित 2.3.2000 में निर्धारित प्रावधानो की समुचित व्याख्या करने मे विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से अलग से पूर्व अनुमति प्राप्त क रने के लिए प्रदान किए गए थे। [137 -डी, ई, एफ)

2. यह व्याख्या का मूल नियम है कि जहाँ एक कानून करता है कि एक विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए, यह निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य तरीके से। व्याख्या का यह भी तय नियम है कि जहां कोई कानून दंडात्मक है, वह यह निर्धारित करता हैं कि उक्त आवश्यकता का पालन करने में विफलता के गंभीर परिणाम होते हैं। तब ऐसी आवश्यकता अनिवार्य होगी और इसका जब सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, एक कर कानून में एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यह अदालत के लिए खुला नहीं

है। कि वह औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों की अनदेखी करे। यदि उस शर्त के तहत छूट दी गई थी, जो बाद की किसी घटना के कारण बदल गई थी, तो छूट लागू नहीं होगी। इसके अलावा, जबकि जबकि अनिवार्य नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जबकि निर्देशिका नियम के मामले में पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है। [139 -सी, डी, ए, बी]

बजाज टेम्पो लिमिटेड, बॉबे बनाम. आयकर आयुक्त बॉम्बे शहर-III, बॉम्बे, [1992] 3 एस. सी. सी. 78; बिक्री कर आयुक्त बनाम औद्योगिक कोयला उद्यम, [1999] 2 एस. सी. सी. 607 और बिहार राज्य बनाम सुप्रभात स्टील लिमिटेड और अन्य, [1999] 1 एस. सी. सी. 31 का दिया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7994/2003

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 15.1.2003 के रिट याचिका नम्बर 5712/2002 निर्णय ओर आदेश से

ए. सरन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राजेश पाठक और अशोक माथुर-अपीलार्थीगण के लिए

ए. गोपीचन्द भरुखा,अजीत कुमार सिन्हा, एस. डी. संजय और देवाशीष भरुखा – प्रत्यर्थीगण के लिए

डॉ. ए. आर. लक्ष्मण,जेः- यह अपील झारखंड राज्य द्वारा वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची, झारखंड और पांच अन्य के माध्यम से रिट याचिक T-NO,5712 OF 2002 झारखंड उच्च न्यायालय रांची की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.1 2003 के खिलाफ दायर की गई है फैसले में की गई टिप्पणियों और निर्देशों के मद्देनजर एक नया आदेश पारित करने के लिए वाणिज्यिक कर (प्रशासन), धनबाद डिवीजन, धनबाद के संयुक्त आयुक्त को इसे वापस भेजने की अनुमति दी। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

बिहार की पूर्ववर्ती सरकार लघु उधोग क्षेत्र में नई स्थापित औधोगिक इकाइयों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करते हुए एक औधोगिक नीति 1995 लेकर आई थी। उक्त औधोगिक नीति के खंड 16.1 और खंड 16.2 में कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर से छूट और तैयार उत्पादों की बिक्री पर बिक्री कर से छूट का प्रावधान है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने उक्त औधोगिक नीति के कार्यान्वयन के लिए S.O.478/479 दिनांकित 22.12.1995 के माध्यम से वैधानिक अधिसूचनाएँ जारी कीं। पाइपलाइन उधोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए उक्त औधोगिक नीति को अधिसूचना संख्या 5680 दिनांकित 27.8.1997 द्वारा संशोधित किया गया था। औधोगिक नीति 1995 में पाइप लाइन उधोगो के मामले में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख के लिए समय सीमा का

विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया था, जहा पर्याप्त निवेश पूंजी इस शर्त के अधीन की गई है कि ऐसी पाइप लाइन औधोगिक इकाई पूर्व अनुमति लेगी। राज्य सरकार के उधोग विभाग में 31.8.2000 से पहले और ऐसी पूर्व अनुमति प्राप्त करने की तारीख से पांच साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। 2.3.2000 को वाणिज्यिक कर विभाग ने औद्योगिक नीति 1995 में उपरोक्त संशोधन के अनुसार अधिसूचना संख्या एसओ 57 और 58 दिनांकित 2. 3. 2000 जारी की। औधोगिक नीति 1995 के 'अनुसार और औधोगिक नीति 1995 मे कार्यान्वयन के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई। अर्थात्, एसओ 478 और एसओ 479 दिनांकित 22.12.1995 नए स्थापित लघु उद्योग कच्चे माल की कर मुक्त खरीद के साथ-साथ तैयार उत्पादों की कर मुक्त बिक्री के हकदार थे, बशर्ते कि ऐसे उद्योगों की शुरुआत की तारीख 1.9.1995 और 31.08.2000 के बीच हो। वैधानिक अधिसूचना एसओ 57 और एसओ 58 दिनांक 2.3.2000 ने अधिसूचना संख्या एसओ 478 और एसओ 479 दिनांक 22. 12. 1995 को तदनुसार संशोधित किया ताकि उद्योग विभाग की पूर्व अनुमति प्रदान की जा सके जिसे पाइप लाइन औधोगिक इकाई को 31.8.2000 से पहले प्राप्त करना होगा 22.12.1995 की अधिसूचना संख्या एसओ 478 और एसओ 479 के तहत कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए।

एसओ 478 और एसओ 479, जैसा कि एसओ 57 और एसओ 58 दिनांक 23.2000 द्वारा संशोधित किया गया है, से देखा जाता है कि औधोगिक इकाइयों ने उद्योग विभाग/ औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योग निदेशक से पंजीकरण प्राप्त किया है या सरकार के सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्राप्त किया है। भारत पंजीकरण प्रमाणपत्र / आशय पत्र इत्यादि, और औधोगिक नीति 1995 के तहत कर प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक को 31.8.2000 से पहले उधोग विभाग में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।

यहां प्रतिवादी मेसर्स अंबे सीमेंट्स, एक लघु उधोग ने महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र, धनबाद से दिनांक 5.5.2000 को अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तथा छूट देने के लिए संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष आवेदन किया है। संयुक्त आयुक्त ने अपने आदेश दिनांकित 26. 8. 2000 द्वारा इसे इस शर्त के साथ प्रदान किया कि इसके लिए उधोग विभाग में राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। संयुक्त आयुक्त ने पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन की जांच करने के बाद आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने वैधानिक अधिसूचना संख्या एसओ 57 व एस ओ 58 दिनांकित 2.3.2000 मे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उद्योग विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी। प्रतिवादी इकाई ने 2.4.2001 को औधोगिक

नीति 1995 के प्रावधानों के तहत जारी एसओ 57 और एसओ 58 दिनांकित 2.3.2000 के साथ पठित एसओ 478 और एसओ 479 दिनाकिंत 22.12 1995 के प्रावधानों के तहत पात्रता प्रमाण पत्र के लिए उधोग विभाग में राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना आवेदन किया था । संयुक्त आयुक्त ने दिनांक 11.9.2000 के आदेश द्वारा संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट और तैयार उत्पादों की बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान से छूट के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। संयुक्त आयुक्त ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि उद्योग विभाग से कोई पूर्व अनुमति जारी नहीं की गयी है.

संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसका अपीलकर्ता ने एक जवाबी हलफनामा दायर करके विरोध किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा वैधानिक अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र द्वारा जारी अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के रूप में माना जा सकता है। जैसा कि इस उद्देश्य से जारी अधिसूचना के तहत माना गया है।

रिट याचिका में पारित आदेश से व्यथित होकर, झारखंड राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) संख्या 10169/2003 प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 10.07. 2003 को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी । 22.9.2003 को अनुमति दी गई और विशेष अनुमति याचिका को 2003 की सिविल अपील संख्या 7994 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री ए सरन और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपीचंद भरूखा को सुना। आगे बढ़ने से पहले, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैराग्राफ 10 और 11 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैं:

> "10 हमारे सामने यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कैसे और किन आधारो पर एक अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कैसे और किस विचार के आधार पर, उक्त पूर्व अनुमति दी जाती है या अस्वीकृत की जाती है। दूसरे शब्दों में, हमें यह नहीं समझाया जा सका कि नई औधोगिक इकाई स्थापित करने के लिए सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिए गए अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

और राज्य सरकार (उधोग विभाग) द्वारा दी गई पूर्व अनुमति के बीच क्या अंतर है। जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना में विचार किया गया है। किसी को औधोगिक नीति के उद्देश्यो और उद्देश्य के तहत दिए गए प्रोत्साहनों को भी ध्यान में रखना होगा जिसे केवल-तकनीकी आधारो पर निराश नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि अस्थायी पंजीकरण प्रमाणन (अनुलग्नक 5) को राज्य सरकार (उधोग विभाग) की पूर्व अनुमति के रूप में माना जाय जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना के तहत माना गया है।

11.परिणामस्वरूप, ऊपर दी गई टिप्पणियों और निर्देशों के मद्देनजर आदेश कि प्रति प्राप्त होने कि तारिख से दो महिने कि अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्रतिवादी नंबर 3 संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन), धनबाद डिवीजन, धनबाद को वापस भेजा जाता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने में गलती की और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए उसी के पक्ष में छूट देने का निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वीकार किया था की उसने इसका अनुपालन नहीं किया है। ऐसे अनुदान के लिए औधोगिक नीति 1995 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, छूट देने के लिए अधिकारियों द्वारा निर्धारित वैधानिक शर्ते अनिवार्य है और उच्च न्यायालय ने ऐसी वैधता के लिए किसी भी चुनौती के अभाव में, निर्धारित वैधानिक प्रावधानों को अनदेखी करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में छूट देने का निर्देश दिया है। स्थितियाँ। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न करने पर प्रतिवादी छूट देने से वंचित हो जाएगा।

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपीचंद भरूखा ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार के उधोग विभाग द्वारा दिया गया अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र वास्तव में एक पूर्व अनुमति है जैसा कि उपरोक्त -अधिसूचनाओं के तहत माना गया है। उक्त अधिसूचनाओं में एसा कुछ नही दर्शाया है कि उक्त अधिसूचनाओं के तहत दिए गए प्रोत्साहन/छूट के पात्र होने के लिए एक अलग पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार का उधोग विभाग

राज्य में उधोगो के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से बिक्री कर में छूट सहित ऐसे उधोग को विभिन्न प्रोत्साहन देने वाली औधोगिक नीति लेकर आया है। बिहार राज्य द्वारा प्रतिपादित इस नीति को झारखंड राज्य द्वारा विधिवत अपनाया गया और इसके अनुसार अधिसूचनाएँ जारी की गई थी।

श्री भरूखा ने हमारा ध्यान सीमेंट उत्पादन के लिए जिला उधोग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की ओर आकर्षित किया। यह प्रमाणपत्र दर्शाता है कि यह पांच वर्षों के लिए वैध था। पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार, प्रतिवादी छूट पाने का हकदार है क्योंकि यह 3.8.2000 से पहले दी गई राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने हमारा ध्यान उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक भाग की ओर आकर्षित किया, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "1. उपरोक्त अधिसूचना के खंड 1 (ए) की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जानी चाहिए:-
>
> 1. ए. नवीन औधोगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जिसमें उत्पादन कार्य 1 सितम्बर 1995 से 31 अगस्त 2000 के मध्य प्रारम्भ हुआ हो तथा जिसे औधोगिक

विभाग/औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भारत सरकार के उद्योग निदेशक एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पत्र /विज्ञापन पत्र /आशय पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

लेकिन ऐसी सभी इकाइयाँ जिनमें विस्तार के लिए 500 करोड़ या उससे अधिक की पूंजी निवेश की जाएगी, उन्हें इस 5 अधिसूचना के प्रयोजन के लिए नई इकाइयाँ माना जाएगा;

लेकिन यह भी है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए उन सभी इकाइयों को नई इकाइयाँ माना जाएगा जिन्होंने 31 अगस्त, 2000 से पहले राज्य सरकार के उधोग विभाग से पूर्व अनुमति लेकर 5 वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू कर दिया है, भले ही वे इकाइयाँ 31 अगस्त, 2000 के बाद उत्पादन शुरु करती है।"

श्री भरूखा ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में अपनी स्थापना की और 2.4.2001 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और

प्रतिवादी नंबर 1 को स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र 30.4 2001 को जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिवादी ने 2.4.2001 को इसका उत्पादन शुरू किया । तदनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, प्रतिवादी ने 2.4. 2001 को कच्चे माल की खरीद और तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर छूट देने के लिए अपेक्षित आवेदन पत्र पर छूट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। श्री भरूखा ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा वाणिज्यिक कर के उपायुक्त के समक्ष छूट के लिए आवेदन दायर करने पर, उक्त उपायुक्त ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के मामले को वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को अनुशंसित किया था। और उक्त आदेश भी प्रतिवादी के परिसर में किए गए निरीक्षण और सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा दस्तावेजों की जांच पर आधारित था और वाणिज्यिक कर के उप आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने एसओ 58 दिनांकित 2.3.2000 के दूसरे प्रावधान पर विचार कर पूर्व अनुमति के माध्यम से, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, धनबाद ने औधोगिक नीति के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाणन जारी किया है।

अपने तर्कों के समर्थन में श्री भरुखा ने निम्न न्यायदृस्टांत पेश किये बजाज टेंपो लि. बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त (1992) 3 SCC78; बिक्री

आयुक्त बनाम औद्योगिक कोयला उधम (1999) 2 SCC607; बिहार राज्य और अन्य बनाम सुप्रभात स्टील लि. व अन्य (1999) Scc 31

हमने के साथ दायर दलीलों और अनुबंधों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले का भी अध्ययन किया है। इस मामले के तथ्य विवादित नहीं है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र को अधिसूचना के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार (उद्योग विभाग) से पूर्व अनुमति के रूप में माना जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न में अधिसूचना के उद्देश्य के लिए पात्र होने के लिए एक अलग पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिसूचना में विचार की गई पूर्व अनुमति एक उधोग स्थापित करने के लिए है जो रिट याचिका में दायर अनुबंध 5 के माध्यम से दी गई थी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस अपील में विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे;

(1) क्या छूट देने के लिए अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्ते उसका लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है?

(2) क्या उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए शर्तों के विपरीत छूट देने का निर्देश दे सकता है और ऐसी शर्तों की वैधता के

लिए किसी भी चुनौती के अभाव में ऐसे अनुदान के लिए निर्धारित वैधानिक शर्तों की अनदेखी कर सकता है?

औधोगिक प्रोत्साहन नीति 1995 (एसओ 478/479 दिनांक 22 12 1995) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार) की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। 1981 का अधिनियम संख्या 5) जिसके द्वारा बिहार के राज्यपाल ने उन नई औधोगिक इकाइयों को छूट दी, जो 1 सितंबर, 1995 से 31 अगस्त, 2000 की अवधि के बीच उत्पादन शुरू करते हैं। जिन्होंने उपरोक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और फॉर्म टीई (खरीद II) में जानकारी देने के बाद कर छूट प्रमाण पत्र इस अधिसूचना के साथ और उक्त नीति में उल्लिखित नियमों और शर्तों के तहत सीधे कच्चे माल की खरीद पर देय बिक्री कर के लिए माल का निर्माण आवश्यक है।

नई औधोगिक इकाई" को अधिनियम के खंड 1 (ए) के तहत परिभाषित किया गया है। एसओ 479 दिनांक 22.12.1995 के तहत, राज्यपाल ने 1 सितंबर, 1995 से 31 अगस्त, 2000 की अवधि के बीच उन नई इकाइयों/कार्य शुरू करने को छूट दी और उपरोक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया। एसओ 479 दिनांकित 2 मार्च, 2000 द्वारा बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार

अधिनियम संख्या 5, 1981) को बारा 7 की उप-धारा 3 (बी) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ संशोधनों को शामिल करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पिछली अधिसूचना एसओ 479 दिनांक 22 दिसंबर, 19951 खड 1(3) के अंतर्गत नई औधोगिक इकाई का अर्थ ऐसी नई इकाई से है जहां उत्पादन 1 सितंबर, 1995 से 31 अगस्त, 2000 के बीच शुरू किया गया हो और जिसने अनुमति पत्र / स्वीकृति पत्र / प्राधिकरण पत्र स प्राप्त कर लिया हो। उक्त खंड सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रावधान है कि जिस औधोगिक इकाई ने 31 अगस्त, 2000 से पहले राज्य सरकार (उद्योग विभाग) से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है और अनुमति की तारीख से पांच साल के भीतर उत्पादन शुरू कर दिया है, उसे भी इसके तहत नई इकाई माना जाएगा भले ही उन्होंने 31 अगस्त, 2000 के बाद उत्पादन शुरू कर दिया हो। संशोधित अधिसूचना का खड 2 निम्नानुसार हैः

छोटी इकाइयों के संबंध में सरकार की पूर्व मंजूरी के उद्देश्य से, महाप्रबंधक, जिला औधोगिक केंद्र या प्रबंध निदेशक, औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और सर्कल, वाणिज्यिक कर प्रभारी की पूर्व मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। मध्यम और बड़े उद्योगों के संबंध में पूर्व अनुमोदन वाणिज्यिक कर आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिया जाएगा जिसमें निदेशक, उद्योग और निदेशक, तकनीकी विकास सदस्य के रूप में

शामिल होंगे। पूर्व अनुमोदन उद्योग विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा यदि समिति आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने निर्णय की सूचना नहीं देती है। एक आवेदन आयुक्त, औधोगिक विकास के समक्ष दायर किया जा सकता है, जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ परामर्श के बाद 60 दिनों के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगा।"

यहा प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन ले परिणामस्वरूप, लघु औधोगिक इकाई का अंतिम पंजीकरण प्रतिवादी इकाई को आवंटित किया गया था जो उक्त प्जीकरण के जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।

सयुंक्त आयुक्त, वाणिजिक्य कर ने 26.08.2000 को निम्नलिखित आदेश पारित कियाः"

जा रही है कि उत्पादन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, उद्योग विभाग की पूर्व अनुमति ली जाएगी।

एसडी

जेएन पांडे, संयुक्त आयुक्त,

वाणिज्य कर (प्रशासन) धनबाद

प्रमंडल, धनबाद।

ज्ञापांक 959/धनबाद दिनांक 26 अगस्त 20001"

11.9.2000 को सयुंक्त आयुक्त,वाणिज्यिक करने अपने आदेशो मे कहाः

"औधोगिक इकाई द्वारा उधोग विभाग से पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। उनका तर्क है कि यह उधोग विभाग में एक लघु औधोगिक इकाई के रूप में अस्थायी रूप से पंजीकृत है और बाद में स्थायी रूप से पंजीकृत है। इसे पंजीकरण से पहले अनुमति प्रमाणपत्र माना जाना चाहिए। उधोग विभाग में पूर्व अनुमति और पंजीकरण दो अलग-अलग पहलू हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग ने दिनाक 19.08 2000 को पूर्व अनुमति के समय यह शर्त भी लगाई थी कि इकाई के मालिक को भी उधोग विभाग से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी। लेकिन इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए, डिवीजन से भेजी गई सिफारिश अनुमोदित नहीं है।"

हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित संबंधित वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हमारी राय में नई औद्योगिक इकाई की संशोधित परिभाषा के अर्थ में उधोग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र को पूर्व अनुमति नहीं माना जा सकता। उक्त अधिसूचनाओं से यह स्पष्ट है कि अस्थायी पंजीकरण के अलावा, 31.8.2000 से पहले उधोग विभाग की एक अलग पूर्व अनुमति किसी भी इकाई के लिए नई औधोगिक इकाई के रूप में समझे जाने के योग्य होने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है।

यहां प्रतिवादी का यह सुझाव पूरी तरह से गलत है कि उद्योग विभाग द्वारा जारी अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र को एसओ 478/479 दिनांक 22.12.1995 के तहत नई औधोगिक इकाई की संशोधित परिभाषा के अर्थ में पूर्व अनुमति के रूप में माना जाना चाहिए। वैधानिक अधिसूचना को पढ़ने से यह स्पष्ट होगा कि 31.8.2000 से पहले उधोग विभाग की एक अलग पूर्व अनुमति छूट के उद्देश्य के लिए पात्र बनने के लिए किसी भी इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस मामले में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी ने 31.8.2000 से पहले उद्योग विभाग में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की है और इस प्रकार प्रतिवादी की औधोगिक इकाई को कर छूट के लिए पात्र नई औधोगिक इकाई नहीं माना जा सकता है। एसओ 478 और 479 दिनांक 22.12.1995 के तहत छूट, एसओ 57 और 58 दिनांक 2.3.2000 के साथ पठित। हमारी राय में, राज्य सरकार की

पूर्व अनुमति प्राप्त न करके प्रतिवादी की ओर से वैधानिक दायित्व को पूरा न करने के कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

हमारे विचार में छूट देने के लिए अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तें छूट का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अनुदान और शर्त की वैधता को चुनौती नही दिया जाने पर इसके लिए निर्धारित वैधानिक शर्तों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में छूट देने का निर्देश नहीं दे सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी कि प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र देना पर्याप्त था और यह अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित पूर्व अनुमति के बराबर था, सही नहीं है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय वैधानिक अधिसूचना एसओ 57 और एसओ 58 दिनांकित 2. 3..2000 में निर्धारित प्रावधानों जो स्पष्ट रुप से अलग से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान करते है की विवेचना करने मे विफल रहा है। इसका अनुपालन न करने पर प्रतिवादी छूट देने से वंचित हो जाएगा।

यह सच है कि प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में अपना प्रतिष्ठान स्थापित किया और 2.4 2001 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। बिहार औद्योगिक नीति सकल्प, 1995 और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी

वैधानिक अधिसूचना से पता चलता है कि नई औधोगिक इकाइयों को उन औधोगिक इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया था जो 1.9.1995 और 31.8.2000 के बीच उत्पादन में आई और जिन्हें भारत सरकार के सक्षम उधोग विभाग या औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उद्योग निदेशालय या सक्षम प्राधिकारी ने आशय पत्र या पंजीकरण प्रमाण या लाईसेसं दिया है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वैधानिक अधिसूचनाओं को एसओ 7 और 58 दिनांक 2.3.2000 के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त संशोधित अधिसूचनाओं से यह देखा जा सकता है कि एसओ 478 और 479 के तहत छूट के प्रयोजनों के लिए पाइपलाइन उद्योगों को नई औद्योगिक इकाइयों के रूप में मानने के लिए तीन शर्ते निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैं:

"(I) औधोगिक इकाई को उधोग विभाग के सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

(II) इसे 31 अगस्त, 2000 से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग से पूर्व अनुमति भी प्राप्त करनी चाहिए थी

(III) औधोगिक इकाई को पूर्व अनुमति प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू कर देना चाहिए।"

हमने पहले ही देखा है कि प्रतिवादी ने छूट के लिए आवेदन किया है और विभाग ने प्रतिवादी को इस शर्त के साथ-अनुमति दी है कि उद्योग विभाग से पूर्व अनुमति निर्धारित समय के भीतर प्राप्त की जानी चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी ने जानबूझकर वैधानिक बाध्यकारी दायित्व को पूरा करने के लिए विभाग के निर्देश की अनदेखी की है। रिट याचिका में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी ने 31.3.2000 से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की है और इस प्रकार प्रतिवादी की औधोगिक इकाई को कर छूट के लिए पात्र एक नई औधोगिक इकाई अधिसूचना दिनांकित 22.12.1995 व दिनांक 2.3.2000 की अधिसूचना के संबध मे नही माना जा सकता है।

श्री भरुखा ने आगे प्रस्तुत किया कि कर कानूनों में, कर की रियायती दर के प्रावधान को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के संबंध में, उन्होंने बिक्री कर आयुक्त बनाम औधोगिक कोयला उधम बजाज टेम्पो लिमिटेड, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-III, बॉम्बे (सुप्रा) मे इस न्यायालय की फैसले का हवाला दिया है।

हमारे विचार में छूट खड के प्रावधानों को सख्ती से समझा जाना चाहिए और औधोगिक नीति ओर छूट अधिसुचनाओ मे निर्धारित शर्तो की अनदेखी करना न्यायालय के लिए खुला नही है।

हमारे विचार में आवश्यकताओं का अनुपालन करने मे विफलता प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने योग्य बनाती है। जबकि अनिवार्य नियम का कडाई से पालना किया जाना चाहिए, निर्देशिका नियम के मामले मे पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है।

जब भी क़ानून यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है और यह भी निर्धारित करता है कि उक्त आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता के गंभीर परिणाम होंगे, तो ऐसी आवश्यकता अनिवार्य होगी। यह व्याख्या का मुख्य नियम है कि जहां कोई कानून यह प्रावधान करता है कि कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए, उसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। व्याख्या का यह भी स्थापित नियम है। कि जहां कोई क़ानून दंडात्मक प्रकृति का है, वहां उसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। चूंकि, मौजूदा मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए, इसका अनुपालन न करने पर अनुदान प्राप्तकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में दी गई रियायत रद्द कर दी जानी चाहिए।

उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देकर और प्रतिवादी के पक्ष में छूट देने का निर्देश देकर गलती की है। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश को रद्द करने और इस अपील की अनुमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

अपील स्वीकार की गयी। जुर्माने का कोई आदेश नही किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।